



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002  
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1501/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5

दिनांक : 31.07.2018

### कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कर्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तों पर एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्ष-2018 में मान्यता अवधि	विस्तारित मान्यता अवधि	उद्देश्य/रोगों की चिकित्सा का विवरण
1	शर्मा डेन्टल केयर एण्ड ट्रॉमा सेन्टर, आराधर, देहरादून	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	दन्त रोगों हेतु
2	दून एम०आर०आई/स्केन सैण्टर, देहरादून	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	एम०आर०आई/स्केन
3	डेन्टल प्लस क्लिनिक, नागोस्वती आर्युवेदिक सेन्टर परिसर, नजदीक-रिस्पना पुल, आई०एस०बी०टी० रोड़, देहरादून	08.05.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	दन्त रोगों हेतु
4	नवीन आई हास्पिटल, मालवीय चौक, रूडकी	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	नेत्र रोगों हेतु
5	आर्थोकेयर डेन्टल स्पेशलिटी सेन्टर, शिवकृपा काम्प्लैक्स विपरीत एमडीडीए कालोनी, जीएमएस रोड़, देहरादून।	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	दन्त रोगों हेतु
6	राणा डेन्टर क्लिनिक, 43, करनपुर रोड़, नजदीक-प०नै०बै०, देहरादून	01.10.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	दन्त रोगों हेतु
7	एम०एस० त्यागी मैमोरियल फिजियोथैरेपी सेन्टर, हरिद्वार रोड़, देहरादून	01.10.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	फिजियोथैरेपी
8	दृष्टि आई सैण्टर, देहरादून	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	नेत्र रोगों हेतु

### प्रतिबन्ध यह होगा कि :-

- उक्त सभी चिकित्सालय पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में दिनांक 30.06.2018 को प्रभावी दरों एवं निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।
- मान्यता अवधि में चिकित्सा दरों में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, किन्तु यदि चिकित्सा दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव कारपोरेशन को प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु कोई भी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान कारपोरेशन की अनुमति के बिना अपनी चिकित्सा दरों में वृद्धि नहीं करेगा। उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

पत्रांक : 1501/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5 तददिनांक :

निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- निदेशक (वित्त)/परिचालन/परियोजना, पिटकुल, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल .....
- उपमहाप्रबन्धक (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
- सम्बन्धित चिकित्सालय।
- सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(आशीष कुमार)  
निदेशक (मा०सं०)